राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1110/2006

रामानन्द शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 11.02.2000 के क्रम में राजस्थान वाणिज्यक कर सेवा के अधिकारियों की चयनित वेतन श्रृंखला की दिनांक 01.04.1999 की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची दिनांक 30.06.2000 को जारी की गयी है, जिसमें अपीलार्थी रामानन्द शर्मा को निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 व 4 श्री समरथ लाल परमार एवं श्री रामकरण सिंह से ऊपर रखा गया। बाद में दिनांक 12.09.2000 को उपायुक्त के पद पर कार्यरत व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची जारी की गयी, जिसमें दोनों प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी से ऊपर रखा गया। बाद में प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 06.11.2002 के आदेश द्वारा पूर्व में जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 12.09.2000 को वापस ले लिया। इसके पश्चात आदेश दिनांक 10.04.2006 के द्वारा वर्ष 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 व 4 को अतिरिक्त आयुक्त (सुपर टाईम स्केल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि पूर्व में जो वरिष्ठता सूची दिनांक 12.09.2000 को जारी की गयी थी, उसे वापस ले लिया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी से वरिष्ठ रहा था। अतः अपीलार्थी को अति. आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए था।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि अतिरिक्त आयुक्त का पद 100 प्रतिशत योग्यता के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाला पद है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 3947 दिनांक 06.11.2002 के द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 30.06.2000 एवं अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 12.09.2000 को वापिस ले लिया गया है। इस

प्रकार वित्त विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक प.3(72) वित्त/कर–अनु/97 दिनांक 27.03.1997 के द्वारा जारी अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.1996 की स्थितिनुसार ही वर्तमान में अस्तित्व में/प्रभाव में है। उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर ही वर्तमान पदोन्नति आदेश जारी किये गये है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
5. वर्तमान में अपीलार्थी सेवानिवृत हो चुका है। अति.आयुक्त का पद 100 प्रतिशत योग्यता के आधार पर भरे जाने वाला पद है। ऐसे में अपीलार्थी इस पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी होना नहीं माना जा सकता है।
6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में हम कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)